संख्या. आईटी-एयूटी-आईटी-एओआरटीआई/13/2026-आईटी-एयूटी
भारत सरकार
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
https://prgi.gov.in

दिनांक 13.07.2026

वर्ष 2026 की परामर्शिका संख्या 17

विषय: प्रेस सेवा पोर्टल पर अनमैप्ड शीर्षकों का मैपिंग करने के संबंध में

यह पाया गया है कि भारत के प्रेस महापंजीयक के कार्यालय (पीआरजीआई) में पंजीकृत अनेक शीर्षक वर्तमान में **प्रेस सेवा पोर्टल** पर **अनमैप्ड** हैं, अर्थात् ये शीर्षक **प्रेस सेवा पोर्टल** पर किसी भी स्वामी प्रोफाइल से संबद्ध नहीं हैं।

2. सभी संबंधित मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने नाम से पंजीकृत शीर्षकों का **प्रेस सेवा पोर्टल** पर मैपिंग करें।

3. संबंधित मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे **प्रेस सेवा पोर्टल** पर लॉग इन करें तथा निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हुए शीर्षक मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करें:

अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके **प्रेस सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें**→स्क्रीन के ऊपर-दाएँ कोने में स्थित **प्रोफाइल** आइकन पर क्लिक करें →ड्रॉप-डाउन मेनू से **प्रोफाइल** का चयन करें →प्रोफाइल पृष्ठ के नीचे तक स्क्रॉल करें तथा **प्रिवियस डेटा मैपिंग** पर क्लिक करें →शीर्षक का रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्ज करें तथा **सर्च** पर क्लिक करें →खोज परिणामों में से संबंधित शीर्षक **चुनें**→शीर्षक मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए **कन्फर्म** पर क्लिक करें।

4. यदि **प्रेस सेवा पोर्टल** पर अभी तक ऑनर प्रोफाइल बनाई नहीं गई है, तो मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे https://prgi.gov.in/के होम पेज पर उपलब्ध " **हाउ टू मेक ऑनर प्रोफाइल(फॉर एनुअल स्टेटमेंट**)" वीडियो का संदर्भ लें। यह वीडियो ऑनर प्रोफाइल बनाने के साथ-साथ पंजीकृत शीर्षकों को मालिक प्रोफाइल से मैपिंग करने हेतु चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है।

5. संबंधित प्रकाशनों के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने तथा ऑनलाइन नियमितता प्रस्तुत करने हेतु शीर्षकों का मैपिंग करना आवश्यक है।

6. शीर्षकों का मैपिंग न किए जाने की स्थिति में, भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा **प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023** तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत, जहाँ कहीं लागू हो, उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई, संबंधित शीर्षक(कों) के निरस्तीकरण सहित, की जा सकती है।

7. यह भारत के प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हितेश रावत)
सहायक प्रेस महापंजीयक